न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 6/2019 (2019/00051)

1. चन्द्रकान्ता सैनी पत्नि रघुवीर प्रसाद सैनी जाति माली निवासी कल्याण कॉलोनी, अजमेर रोड़, केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

——प्रार्थिया

बनाम

1. प्रेमदेवी पत्नि बद्रीलाल माली जाति माली निवासी सूरजपोल गेट बाहर, माली मौहल्ला, केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर।
2. रामधन पुत्र बजरंग माली
3. बद्रीलाल पुत्र बजरंग माली
4. रतनलाल पुत्र बजरंग माली
   समस्त जातिगण माली निवसीगण सूरजपोल गेट बाहर, माली मौहल्ला, केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर।
5. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार साहब केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

———अप्रार्थीगण

उपस्थितः—

1. नन्दकिशोर वर्मा—प्रार्थी अधिवक्ता
2. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा— अप्रार्थी अधिवक्ता
3. पैरोकार सरकार जर्ये तहसीलदार केकडी—अप्रार्थी—5

जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए, राज. काश्तकारी अधिनियम

—:निर्णयः—

दिनांक— 30/11/2021

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। प्रकरण के संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार हैः—

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राज. काश्तकारी अधिनियम कर निवेदन किया यह कि प्रार्थी की खातेदारी कस्बा केकडी तहसील केकडी के खसरा नंबर 2886 पर आने जाने हेतु रास्ता पूर्व खातेदार के समय से ही पश्चिमी दिशा की ओर स्थित है प्रार्थीया की आराजीयात का पूर्व खातेदार पश्चिमी ओर स्थित रास्ते से आने जाने हेतु उपयोग उपभोग करते रहा है और पूर्व खातेदार के पश्चात् प्रार्थीया उक्त रास्ता आने जाने हेतु उपयोग उपभोग करती चली आ रही है अप्रार्थीगण ने मिलकर एक राय होकर प्रार्थीया के रास्ते को बन्द कर दिया और पश्चिमी दिशा की ओर स्थित गेट के आगे की ओर पत्थर की चुनाई करवा दी। जिससे प्रार्थीया को अपनी आराजी पर आने जाने मे पूर्णतया व्यवधान उत्पन्न हो गया है प्रार्थीया अपने आराजीयात के पश्चिमी ओर स्थित रास्ते को खुलवाना चाहती है जो कि आराजी खसरा संख्या 2885, 2882 में से माझोला के रास्ते पर मिलता है जो कि प्रार्थीया की आराजी पर आने जाने हेतु अति निकटतम रास्ता है प्रार्थीया को अपनी आराजीयात खसरा संख्या 2886 पर आने जाने हेतु रेकार्डेड रास्ता 30 फीट चौडा अप्रार्थीगण की आराजीयात खसरा संख्या 2885 व 2882 में से दिलवाने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से जवाब पेश किया। **अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 का जवाब निम्नानुसार है–**

प्रार्थना पत्र के पेरा सं. 1 में वर्णित कथन प्रार्थिया स्वयं सिद्ध करें एवं रिकॉर्ड से संबंधित है। प्रार्थना पत्र के पेरा सं. 2 में वर्णित कथन कतई गलत एवं मिथ्या एवं मनगढ़ंत होने के कारण दृढ़ता के साथ अस्वीकार एवं अमान्य है। प्रार्थीया का रास्ता खसरा नम्बर 2887 के दक्षिण मेड़ व खसरा नम्बर 2901 की पश्चिमी मेड़ से होकर है एवं प्रार्थीया का आने–जाने का रास्ता कभी भी खसरा नम्बर 2882 व 2885 दक्षिण मेड़ पर होकर कभी नहीं रहा। अतः उक्त प्रार्थना पत्र कानून चलने योग्य नहीं होकर खारिज होने योग्य है।प्रार्थना पत्र के पेरा सं. 3 में वर्णित कथन प्रार्थीया स्वयं सिद्ध करें। प्रार्थना पत्र के पेरा सं. 4 में वर्णित कथन कतई गलत एवं मनगढ़न्त मिथ्या होने के कारण दृढ़ता के साथ अस्वीकार एवं अमान्य है। प्रार्थीा का रास्ता सदैव से ही खसरा सं. 2887 की दक्षिणी मेड़ व खसरा नंबर 2901 की पश्चिमी मेड़ से होकर रहा है तथा अप्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते को बंद करने संबंधित कथन कतई गलत एवं मनगढन्त होने के कारण अस्वीकार व अमान्य है, प्रार्थना प कानून चलने योग्य न होकर खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र के पेरा सं. 5 में वर्णित कथन कतई गलत, मिथ्या एवं मनगढ़न्त होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थीया का रास्ता कभी भी खसरा सं. 2882 व 2885 में नहीं रहा है। प्रार्थीया केवल मात्र अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की नियत से एवं अपनी उक्त आराजी खसरा सं. 2886 में वर्तमान में जाने आने के कई रास्ते मौजूद होने के बावजूद अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की नियत से कतई गलत एवं मिथ्या व मनगढन्त आरोपों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो कानूनन चलने योग्य ना होकर खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र के पेरा सं. 6 में वर्णित कथन कतई गलत, मनगढन्त व मिथ्या होने के कारण प्रार्थीया का उक्त प्रार्थना पत्र कानूनन चलने योग्य ना होकर खारिज होने योग्य है। प्रार्थीया की आराजीयात खसरा सं. 2886 में जाने आने के कई रास्ते हैं तथा प्रार्थीया वर्तमान में आ जा रही है, लेकिन प्रार्थीया अप्रार्थीगण की आराजीयात में से अवैध व गैर कानूनी तरीके से जबरन रास्ता लेने के लिए पूर्व में रास्ता मौजूद होने के बावजूद उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय से वास्तविक स्थिति छिपाते हुए प्रस्तुत किया है, जो कानून चलने योग्य ना होकर खारिज होने योग्य है। शेष प्रार्थना कतई गलत एवं मिथ्या मनगढ़न्त होने के कारण दृढ़ता के साथ अस्वीकार व अमान्य है।जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने के आदेश प्रदान करें।

अप्रार्थी संख्या–5 जर्ये तहसीलदार केकडी द्वारा जवाब/मौका रिपोर्ट पेश कि जो निम्नानुसार हैः–

रिपोर्ट मौका अनुसार खसरा सं. 2889,2890,2875,2876 में से जयपुर–भीलवाड़ा बाईपास गुजरता है। एवं मौक पर 2889,2888,2887 पर मौके पर 30 फिट चौड़ा रास्ता बना हुआ है। प्रार्थी वर्तमान में बिन्दू सं. 01 के अनुसार रास्ते से आवागमन कर रहे हैं। लेकिन पुराने समय में उपयोग आने वाले रास्ते 2882, 2885 से दक्षिण मेड़ से 15 फिट चौड़ा का रास्ता चाहते हैं। वादी द्वारा ख. सं. 2882,2885 की दक्षिण मेड़ पर 15 फिट रास्ता चाहा गया है। खसरा नंबर 2885/0.46 प्रेम देवी पत्नि बद्रीलाल कच्छावा जाति माली, खसरा नंबर 2882/0.95 बद्रीलाल, रतनलाल, रामधन, बजरंग माली व 2881/0.02 गै.मु.चाह नगर पालिका केकड़ी के नाम दर्ज है। चाहे गए रास्ते के अनुसार 2885 में 4.5 गुणा 68=306 वर्ग मी., 2882 में 4.5 गुणा 145=653 वर्ग मी. डी.एल.सी. दर 1646568 रुपए के दुगुने से ख. नं. 2885 की राशि 100770 रुपए बनते हैं एवं 2882 की राशि 215042 रुपए बनती है। कुल राशि 3,15,812 रुपए बनती है। वादी द्वारा स्वयं के खसरा सं. 2886 में पश्चिम में भी एक दरवाजा छोड़ रखा है। किन्तु प्रतिवादीगणों द्वारा पक्की दीवार बनाकर मौके पर बन्द कर रखा है जबकि वादीगण वर्तमान में अपने पति के नाम क्रय किए गए कृषि भूखण्ड में कृषि कॉलोनी से बिन्दू सं. 01 के अनुसार आवागमन कर रहे हैं।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

वरवक्त सुनवाई प्रार्थी अधिवक्ता एवं अप्रार्थी को सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया तथा उपलब्ध मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों एंव मोका रिपोर्ट पर गहनता से मनन किया। प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी ग्राम केकडी खसरा नंबर 2886 है वादी द्वारा ख. सं. 2882,2885 की दक्षिण मेड़ पर 15 फिट रास्ता चाहा गया है। खसरा नंबर 2885/0.46 प्रेम देवी पत्नि बद्रीलाल कच्छावा जाति माली, खसरा नंबर 2882/0.95 बद्रीलाल, रतनलाल, रामधन, बजरंग माली व 2881/0.02 गै.मु.चाह नगर पालिका केकड़ी के नाम दर्ज है। अतः प्राप्त रिपोर्ट अनुसार विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट का स्वीकार योग्य नही पाया जाता है।

—:आदेश:—

प्रार्थी की आराजी कस्बा केकडी के खसरा संख्या में आने जाने हेतु प्रार्थी खसरा नंबर 2886 में रास्ते हेतु खसरा संख्या 2882,2885 की दक्षिण मेड़ पर 15 फिट रास्ता चाहा गया है। खसरा संख्या 2881/0.02 गै.मु.चाह नगर पालिका केकड़ी के नाम दर्ज है। वादी को अपने खसरा संख्या 2886 में आने जाने हेतु वर्तमान में मौके पर खसरा संख्या 2889, 2888, 2887 पर मौके पर 30 फिट रास्ता जयपुर—भीलवाडा बाईपास से लगवा बना हुआ है। जिससे प्रार्थी आवागमन कर रहा है अतः प्रार्थी के लिए मौके पर रास्ता सुचारू रूप से चालू होने से प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

Scanned with OKEN Scanner